



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, (CMMSS) 2025 के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 23/2025

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 826 दिनांक-14.03.2019 तथा 340 दिनांक 21.02.2022 के द्वारा झारखण्ड राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/कस्तुरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना प्रख्यापित किया गया है। इस योजना के तहत चयनित छात्र/छात्राओं को कक्षा-09 से 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। छात्रवृत्ति के लिए छात्र/छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को अधिकृत किया गया है।

एतद् द्वारा राजकीय/राजकीयकृत/कस्तुरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के कक्षा- 07 उत्तीर्ण/कक्षा-08 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना (CMMSS) परीक्षा का आयोजन परिषद् द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in के **Exam Form Portal Section** माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क होगी। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले छात्र/छात्राओं की अनिवार्य अर्हता, स्वरूप एवं योजना परिषद् के वेबसाईट पर प्रकाशित किया गया है।

क्र०सं०	कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
1	परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि	26.04.2025 से 20.05.2025 तक
2.	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवेदन Online सत्यापित करने की तिथि	27.04.2025 से 22.05.2025 तक

इस परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने तथा परीक्षा के तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी।

सा/पाठ- JAC/Sch/CMMSS/1242/25/Secy/414/25

दिनांक 25.4.2025

DOP - 26.4.2025

अध्यक्ष के आदेश से
साचिव, 25/04/25

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची।



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

WEB- NOTICE-19...../2025

एतद् द्वारा राजकीय/राजकीयकृत/कस्तूरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के कक्षा- 07 उत्तीर्ण/कक्षा-08 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना (CMMSS) परीक्षा का आयोजन परिषद् द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in के Exam Form Portal Section माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क होगी। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले छात्र/छात्राओं की अनिवार्य अर्हता, स्वरूप एवं योजना निम्नवत् है :-

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना

- मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कुल 5000 छात्र/छात्राओं का चयन किया जाएगा।
- छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार किया जाएगा।
- प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 छात्र/छात्राओं का ही चयन किया जाएगा।
- चयनित सभी छात्र/छात्राओं को कक्षा- 09 से 12 तक 12,000/- रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- कक्षा-09 से 11 तक आयोजित होनेवाली प्रत्येक वार्षिक परीक्षा (कक्षा 09, 10 एवं 11) में संबंधित छात्र/छात्राओं को 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आगामी वर्ष के लिए वे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग्य माने जायेंगे। किसी भी कक्षा 09, 10 या 11 में यदि संबंधित छात्र/छात्रा 60% अंक लाने में असफल होते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- चयनित छात्र/छात्रा राज्य अन्तर्गत किसी भी विद्यालय (CBSE/ICSE या अन्य विद्यालय में) नामांकन ले सकते हैं।
- ऐसे छात्र-छात्रा, जो गैर आवासीय व्यवस्था/राज्य सरकार से संचालित आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त के तहत अध्ययन करेंगे, उन्हें छात्रवृत्ति की राशि पूर्णरूपेण देय होगा।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा राज्य के किसी भी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हों, तो उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का 50 प्रतिशत ही देय होगा।
- आकांक्षा में नामांकन प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का 50 प्रतिशत ही देय होगा।

परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्र/छात्राओं की अर्हता

- राजकीय/राजकीयकृत/कस्तूरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत् छात्र/छात्राएँ परीक्षा के लिए योग्य होंगे।
- कक्षा-07 में न्यूनतम 55% अंकों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को 5% की छूट होगी) के साथ उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ परीक्षा के आवेदन हेतु योग्य माने जायेंगे।
- अभिभावक की वार्षिक आय की बाध्यता नहीं होगी।
- 30 प्रतिशत सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी।

परीक्षा का स्वरूप

- परीक्षा दो खण्डों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक खण्ड 90 मिनटों का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रकृति के होंगे।
- खण्ड-1 :- बौद्धिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test) - इसके अन्तर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे, जिसमें Reasoning, English Proficiency तथा Hindi Proficiency से संबंधित प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों की बौद्धिक/तार्किक क्षमता को परखने हेतु Reasoning अन्तर्गत Analogy, Classification, Numerical series, Pattern perception, Hidden figures आदि से संबंधित प्रश्न समाहित होंगे। कठिनाई का स्तर वर्ग 7 एवं 8 का होगा।
- खण्ड-2 :- शैक्षिक योग्यता परीक्षा (Scholastic Aptitude Test) - इसके अन्तर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के प्रश्न (प्रति विषय 30 प्रश्न) समाहित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 90 होगी। सभी प्रश्न वर्ग 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत होगा।
- छात्रवृत्ति के लिए चयन पर विचार हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में छात्र/छात्रा को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा प्रत्येक खण्डों में 40 प्रतिशत (SC/ST) छात्र/छात्रा के लिए 35 प्रतिशत) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।

[Signature]

[Signature]

परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने संबंधी कार्यक्रम

- राजकीय/राजकीयकृत/कस्तुरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के छात्र/छात्रा इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरेंगे।
- संबंधित छात्र/छात्रा परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अपने जिला, विद्यालय एवं अन्य यथा वांछित जानकारी वेबसाइट पर संधारित करेंगे।
- परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 26.04.2025 से 20.05.2025 तक परिषद् के वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा।
- भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिनांक 27.04.2025 से 22.05.2025 तक ऑनलाइन परिषद् को अग्रसारित किया जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी परिषद् से कक्षा 08 के लिए निर्गत किए गए ID एवं Password का उपयोग कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन अग्रसारण करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों के अनुसार ही परिषद् द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑनलाइन अग्रसारित किए गए आवेदन प्रपत्रों की सूची परिषद् के वेबसाइट से डाउनलोड कर परिषद् को समर्पित करेंगे।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने एवं परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी।

6. छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र-छात्राओं से अनुरोध है कि वे पूरे छात्रवृत्ति सत्र (वर्ग IX, X, XI एवं XII) के दौरान अपने विद्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे। लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रति वर्ष आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन नहीं करने की स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा एवं वे छात्रवृत्ति से वंचित हो जायेंगे। इसके लिए परिषद् जिम्मेवार नहीं होगा।

8. असुविधा की स्थिति में :-

किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची झारखण्ड के छात्रवृत्ति कोषांग के टेलीफोन नं०- 7485093439 से सम्पर्क किया जा सकता है।

अध्यक्ष के आदेश से

ह०/-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची।

25. 4. 2025

JAC/Sch/Cmmss/1242/25/secy/415/25

ज्ञापक.....

दिनांक

प्रतिलिपि :- व०सू०प्रौ० पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को इस आशय के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित कि उपरोक्त वेब नोटिस को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची।